निदेशालय शोध

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद

निविदा की सामान्य शर्तें :-

१. निविदादाता को बेव साइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के शुल्क के रुप में रुपये 1000=00 (रू.एक हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, पिठला/पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क के किसी भी निविदा प्रपत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा।

२. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ रुपये 30,000=00 (रू.तीस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर के रुप में संलग्नकर जमा करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, पिठला/पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज में देय वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में होना चाहिये। अनुमोदित निविदादाताओं को छोडकर शेष अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट मूलरुप में निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने की दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर धनराशि पूर्व वर्षों में जमा है उन्हें अतिरिक्त धनराशि के अलावा अलग से धरोहर धनराशि जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु जमा धरोहर राशि का पूर्ण विवरण निविदा में साक्ष्य सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।

३. निविदाकर्ता द्वारा अनुमोदित दर पर सम्बन्धित कार्य समय से नही कराया जाता है तो अन्य निविदादाता से कार्य कराने की दशा में कार्य के समस्त मूल का १०% धनराशि अनुमोदित दर वाले निविदाकर्ता की जमा धरोहर धनराशि से कटौती करते हुए विश्वविद्यालय के खाते में जमा करली जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित निविदाकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

४. निविदादाता द्वारा दिया गया दर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ आने वाले समस्त प्रक्षेत्रों/शोध केन्द्रो/के०बी०के०/बीज विधायन संयंत्र इत्यादि हेतु लागू होगा।

५. निविदादाता को अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "निविदा वास्ते कृषि कार्य" अंकित हो पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ व्यक्तिगतरूप से दिनॉक 31-05-2016 को सायं ४.०० बजे तक कुमारगंज स्थित निदेशक शोध के कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से प्रेषित अथवा डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

६. दिनॉक 31-05-2016 तक प्राप्त निविदाओं को अनुमोदित समिति द्वारा दिनॉक 02-06-2016 को पूर्वान्ह ११.३० बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय इच्छुक निविदादाता भी उपस्थित रह सकते हैं।

७. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ श्रमिक न्यायालय द्वारा आवंटित टिन/पंजीयन संख्या एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण-पत्र के कोई भी निविदा विचारणीय न होगी।

८. निविदादाता को अपना दर कार्य विवरण में अंकित आवश्यकतानुसार प्रति एकड, प्रति कुन्तल, प्रति हजार एवं प्रतिदिन के दर से अंकित करना होगा। अन्य इकाईयों में दिया गया दर मान्य न होगा।

९. निविदा में अंकित कार्य विवरण के अनुसार ढुलाई हेतु ट्रैक्टर, मडाई हेतु आवश्यकतानुसार थ्रेसर, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल एवं अन्य संसाधन एवं उपकरण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार को मात्र कार्य सम्पादन हेतु श्रमिक की व्यवस्था करनी होगी।

17.5.16

१०.धान की रोपाई हेतु कुमारगंज में लगभग ४०० श्रमिक, मसौधा में २०० श्रमिक, बहराइच, घाघराघाट, बसुली, गाजीपुर एवं तिसुही इत्यादि में लगभग ४० श्रमिक प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा। इसी प्रकार गेंहूँ की बुआई हेतु कुमारगंज में लगभग १०० श्रमिक, मसौधा में १०० श्रमिक, अन्य शोध केन्द्रों/ के०बी०के०/प्रक्षेत्रों पर लगभग २०-२५ श्रमिक प्रतिदिन उपलब्ध कराने होंगें। यही संख्या लगभग निराई एवं कटाई में भी रहेगी। शेष दिवसों में श्रमिकों की संख्या मॉग के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी। बीज विधायन से सम्बन्धित समस्त कार्य सीजन के समय तीनों पालियों में प्रत्येक दिन कराकर समयान्तर्गत सम्पन्न कराना होगा।

११.समस्त कार्य शोध केन्द्रों/ के०बी०के०/प्रक्षेत्र पर सम्बन्धित प्रक्षेत्र अधीक्षकों/वैज्ञानिकों के निर्देशानुसार सम्पन्न कराना होगा। इसमें निविदादाता का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।

१२.भुगतान संतोषजनक कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात एकाउन्ट पेई चेंक के माध्यम से किया जायेगा। आयकर की कटौती नियमानुसार निविदादाता के बीजक से की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्य पर सेवा कर यदि कोई देय होता है तो उसका भुगतान सीधे फर्म द्वारा किया जायेगा।

१३.निविदादाता द्वारा कार्यों के सम्पादन हेतु बाल श्रमिकों का नियोजन नही किया जायेगा। श्रमिकों के नियोजन में विश्वविद्यालय का कोई हस्तक्षेप न होगा और न ही श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत कोई भी दावा विश्वविद्यालय को मान्य होगा। श्रमिकों के नियोजन तथा भुगतान आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निविदादाता की होगी।

१४.निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय की मॉग के अनुसार वांछित मात्रा में श्रमिक, उपलब्ध न कराने तथा समयान्तर्गत कार्य सम्पादित न कराये जाने की दशा में विश्वविद्यालय अनुमोदित दर पर निविदा में भाग लेने वाले किसी भी अन्य ठेकेदार से कार्य कराने के लिये निविदादाताओं मे से अन्य को सहमत-पत्र के आधार पर अनुमोदित दर से सम्बन्धित प्रक्षेत्र अधीक्षक अपने नियंत्रणाधिकारी से आदेश प्राप्त कर विश्वविद्यालय/प्रक्षेत्र हित मे कार्य कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त के विषय में अनुमोदित निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य न होगा।

१५.कार्य विवरण के सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी आपेक्षित हो तो प्रक्षेत्र अधीक्षकों एवं अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी निविदादाता द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

१६.कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के साथ कोई भी घटना-दुर्घटना होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य न होगा।

१७.उक्त दर आगामी खरीफ-2016, रबी- 2016-17 एवं जायद-2017 में उत्पादित किये जाने वाली फसलों/ कार्यों के लिये लागू होगा।

१८.निविदादाता को पत्र व्यवहार तथा सामयिक कार्य सम्पादन के लिये वि०वि० मुख्यालय/स्थानीय बाजार में अपना कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा, जो फैक्स/टेलीफोन से पूर्णतया सुसज्जित हो तथा अपना प्रतिनिधि अवश्य रखे जिनकी देखरेख में सम्बन्धित कृषि कार्य कराये जायं साथ ही कार्यो की गुणवत्ता एवं समय से समाप्त किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। अन्यथा की स्थिति में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसकें लिए सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

१९.निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रकाशित सम्पूर्ण कार्य का ७५% कार्यो का दर दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की दशा में समिति को सम्बन्धित निविदादाता की निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

२०. आदेशानुसार निर्धारित तिथि के भीतर वांछित श्रमिक प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

17.5.16

२१.किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के निपटारे का अधिकार कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पास सुरक्षित होगा, जिसे मानने के लिये सबकी बाध्यता होगी।

२२. समयान्तर्गत कार्य समाप्त न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार के प्रति सम्बन्धित प्रक्षेत्र अधीक्षक की अपने नियंत्रण अधिकारी को शिकायत-पत्र के आधार पर सही स्थिति की जांच एक समिति से कराते हुए जमा अग्रिम धरोहर धनराशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। इसमें किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

निदेशक शोध

उपर्युक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पता

17.5.16

प्रक्षेत्र एवं बीज विधायन संयंत्र पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्रम सं०	फसल का नाम	कार्य का विवरण	दर (प्रति एकड)
१.	धान (बीजोत्पादन/ परीक्षण/ न्यूक्लियस/ सीधी बुवाई)	१. बीजोत्पादन के धान की नर्सरी उखाडना एवं लाइन से रोपाई करना	
		२. बीजोत्पादन के धान की नर्सरी उखाडना एवं बिना लाईन के रोपाई करना	
		३. परीक्षण के धान की परीक्षणवार नर्सरी उखाडना,टैग बॉधना तथा वैज्ञानिकों के निर्देशानुसार लाईन से रोपाई करना	
		४. न्यूक्लियस बीज की प्रजातिवार सिंगल बाली की नर्सरी उखाडना, टैगिंग करना, लाइन से रोपाई करना।	
		५. धान की सीधी बुवाई हेतु लाईन बनाना, कूड काटना, कूड में बुवाई करना, कूंड को पाटना।	
		६. धान की सीधी बुवाई छिटकवा विधि से करना ।	
		७. धान की फसल में रोपाई/बुआई के उपरान्त खरपतवारनाशी/रसायन आदि का एक बार छिडकाव करना	
		८. रोपाई किये गये सभी प्रकार के धान की प्रथम निराई	
		९. रोपाई किये गये सभी प्रकार के धान की द्वितीय निराई	
		१०. सीधी बुवाई किये गये धान की प्रथम निराई	
		११. सीधी बुवाई किये गये धान की द्वितीय निराई	
		१२. बीजोत्पादन के धान की फसल में रोगिंग कार्य एक बार	
		१३. बीजोत्पादन के धान की हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, ओसाई, बोराबंदी, तौलाई, भण्डारण आदि कार्य	
		१४. परीक्षणवार अलग-अलग धान की हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, ओसाई, थैला भरना, तौलाई, भण्डारण आदि कार्य	
		१५. न्यूक्लियस बीज के धान की प्रजातिवार हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, ओसाई, सुखाई, थैला भरना, तौलाई, भण्डारण आदि कार्य	
		१६. सीधी बुवाई के धान के परीक्षण की अलग-अलग हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, ओसाई, सुखाई, थैला भरना, तौलाई, भण्डारण आदि कार्य	
		१७. बीजोत्पादन के धान की कम्बाईन से कटाई	
		१८. बीजोत्पादन के धान की कम्बाईन से कटाई के उपरान्त छूटी हुई फसल की कटाई, मडाई, सफाई तथा भंडारण आदि कार्य	(दर प्रति वर्ग मी०)
		१९. कम्बाईन से कटाई कराये गये धान को फैलाना, सुखाना, सफाई करना, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण आदि कार्य	(दर प्रति कु०)

17.5.19

क्रम सं०	फसल का नाम	कार्य का विवरण	दर (प्रति एकड)
२.	गेंहूँ एवं जौ (बीजोत्पादन/ परीक्षण/ न्यूक्लियस)	१. बीजोत्पादन के गेंहूँ एवं जौ की फसल में उर्बरकों का एक बार का छिडकाव, गेंहूँ एवं जौ की बुआई तथा बुआई के बाद सिंचाई हेतु नाली एवं मेंड बनाना।	
		२. परीक्षण के गेंहूँ एवं जौ की बुआई के लिये ले आउट करना, डोरी डालना, कूँड बनाना, कूँड में बीज डालना, कूँड को बन्द करना, खाद एवं उर्बरक डालना, सिंचाई के लिये नाली एवं मेंड बनाना।	
		३. न्यूक्लियस गेंहूँ एवं जौ की बुआई के लिये ले आउट करना, डोरी डालना, कूँड बनाना,लिफाफे से बीज निकालकर कूँड में बीज डालना, कूँड को बन्द करना, खाद एवं उर्बरक डालना, सिंचाई के लिये नाली एवं मेंड बनाना।	
		४. सभी प्रकार के गेंहूँ एवं जौ में खरपतवारनाशी/रसायन आदि का एक बार का छिडकाव।	
		५. परीक्षण/न्यूक्लियस गेंहूँ एंव जौ की फसल की निराई एक बार करने हेतु	
		६. परीक्षण/न्यूक्लियस गेंहूँ एंव जौ की फसल की एक बार गुडाई करने हेतु।	
		७. गेंहूँ एंव जौ के परीक्षण में कृत्रिम रोग फेलाने हेतु ऐनाकुलेशन का छिडकाव एकबार करने हेतु	
		८. गेंहूँ एंव जौ के फसल की सिंचाई वि०वि० के साधन से एक बार करने हेतु	
		९. गेंहूँ एंव जौ के परीक्षण में प्रजातिवार टैगिंग हेतु डंडी काटना तथा प्रजातिवार उनको खेत में लगाना	
		१०. गेंहूँ एंव जौ की फसल में रोंगिंग कार्य एक बार करने हेतु	
		११. बीजोत्पादन के गेहूँ/जौ की कम्बाईन से कटाई	
		१२. बीजोत्पादन के गेंहूँ/जौ की कम्बाईन से कटाई तथा भूसा बनवाई	
		१३. गेंहूँ एवं जौ की फसल की हाथ से कटाई, ढुलाई, विश्वविद्यालय के थ्रेसर सें मडाई सफाई, सुखाना, बोराबंदी, तौलाई तथा भण्डारण का कार्य	
		१४. गेंहूँ एवं जौ की परीक्षणवार हाथ से कटाई, हाथ से मडाई, सफाई, तौलाई, बोराबंदी एवं भण्डारण आदि कार्य	
		१५. न्यूक्लियस गेंहूँ/जौ की परीक्षणवार हाथ से कटाई हाथ से मडाई, सफाई, तौलाई, बोराबंदी एवं भण्डारण आदि कार्य	
		१६. न्यूक्लियस गेंहूँ/जौ के चयनित पौधों से बाली तोडना एवं लिफाफे में बाली को मसल कर बीज रखना	दर प्रति हजार लिफाफा
		१७. कम्बाईन से कटे बीजों को ट्राली से उतारना, फेलाना, सुखाना, बोराबंदी, तौलाई, सिलाई एवं भण्डारण आदि का कार्य।	दर प्रति कुन्तल
		१८. गेंहूँ एंव जौ की फसल की कम्बाईन से कटाई के उपरान्त छूटी फसल की हाथ से कटाई, मडाई, सफाई तथा भंडारण आदि कार्य	दर प्रति वर्ग मी०
३.	अरहर (बीजोत्पादन)	१. अरहर की बुआई हेतु उर्बरक डालना, मेंड बनाना, मेड पर बुआई करना	दर प्रति एकड
		२. अरहर की एक बार निराई करना	
		३. अरहर की एक बार गुडाई करना	
		४. अरहर की एक बार रोंगिंग करना	
		५. अरहर की फसल में उर्बरक/रसायन का एकबार छिडकाव करना	
		६. अरहर की हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, सफाई, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण आदि कार्य	

17.5.16

क्रम सं०	फसल का नाम	कार्य का विवरण	दर (प्रति एकड)
४.	उर्द एवं मूँग (बीजोत्पादन)	१. उर्द एवं मूँग की बुआई करना, उर्बरक डालना, सिंचाई हेतु नाली एवं मेड बनाना।	
		२. उर्द एवं मूँग में एक बार उर्बरक/ रसायन का छिडकाव करना	
		३. उर्द एवं मूँग की एक बार निराई करना	
		४. उर्द एवं मूँग की एक बार रोगिंग करना	
		५. उर्द एवं मूँग की एक बार हाथ से तोडाई करना, पीटना, सफाई करना, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण	
		६. उर्द एवं मूँग की हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, सफाई, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण आदि कार्य	
५.	चना/मटर/मसूर (बीजोत्पादन/परीक्षण)	१. बीजोत्पादन के चना/मटर/मसूर को लाईन से बुआई करना, उर्बरक डालना, सिंचाई हेतु नाली तथा मेड बनाना	
		२. बीजोत्पादन के चना/मटर/मसूर को बिना लाईन के छिटकवा विधि से बुआई करना, सिंचाई हेतु नाली तथा मेड बनाना, उर्बरक डालना आदि कार्य।	
		३. परीक्षण हेतु चना, मटर, मसूर को प्रजातिवार ले आउट करना लाईन से बुआई हेतु बीज एवं उर्बरक डालना सिंचाई हेतु नाली तथा मेंड बनाना	
		४. परीक्षण हेतु चना, मटर, मसूर को बिना लाईन के प्रजातिवार बुआई करना, उर्बरक डालना सिंचाई हेतु नाली तथा मेंड बनाना	
		५. चना, मटर, मसूर में खरपतवार नाशी/रसायनों का एक बार छिडकाव करना	
		६. चना/मटर/मसूर की एक बार निराई करना	
		७. चना/मटर/मसूर कीएक बार गुडाई करना	
		८. चना/मटर/मसूर कीएक बार रोंगिंग करना	
		९. चना/मटर/मसूर की फटकनी विधि से एक बार सिंचाई करना	
		१०. बीजोत्पादन के चना, मटर, मसूर की हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, सफाई, बोराबंदी, तौलाई भण्डारण आदि कार्य	
		११. परीक्षण के चना, मटर, मसूर की अलग-अलग हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, सफाई, तौलाई एवं भण्डारण आदि कार्य।	

17.5.16

क्रम सं०	फसल का नाम	कार्य का विवरण	दर (प्रति एकड)
६.	सरसों/अलसी/ लोबिया (बीजोत्पादन/ परीक्षण)	१. बीजोत्पादन के सरसों/अलसी/लोबिया की लाईन से बुआई करना, उर्बरक डालना, सिंचाई हेतु नाली तथा मेंड बनाना	
		२. बीजोत्पादन के सरसों/अलसी/लोबिया की बिना लाइन के छिटकवा विधि से बुआई हेतु बीज एवं उर्बरक डालना, सिंचाई हेतु नाली एवं मेंड बनाना	
		३. परीक्षण हेतु सरसों /अलसी/लोबिया के बुआई हेतु ले आउट करना, लाईन से बुआई करना उर्बरक डालना सिंचाई हेतु क्यारी बनाना	
		४.सरसों /अलसी/लोबिया में खरपतवारनाशी/ रसायनों का एकबार छिडकाव करना	
		५. सरसों/अलसी/लोबिया की फसल में बिरलीकरण (थिनिंग) करना	
		६. सरसों/अलसी/लोबिया के परीक्षण में टैगिंग हेतु डण्डी काटना,टैग बॉधना तथा खेत में लगाना	
		७. सरसों/अलसी/लोबिया में एक बार सिंचाई करना	
		८. सरसों/अलसी/लोबिया में एक बार निराई करना	
		९. सरसों/अलसी/लोबिया में एक बार गुडाई करना	
		१०.सरसों/अलसी/लोबिया में एक बार रोगिंग करना	
		११. बीजोत्पादन के सरसों/अलसी/लोबिया की हाथ से कटाई एवं ढुलाई करना, मडाई, सफाई, बोराबंदी, तौलाई, भण्डारण आदि कार्य करना।	
		१२. सरसों/अलसी/लोबिया की परीक्षणवार अलग-अलग हाथ से कटाई, ढुलाई, पिटाई, सफाई, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण आदि कार्य	
७.	गन्ना (बीजोत्पादन/ परीक्षण)	१. खेत से गन्ना काटना, गन्ने को हाथ से छीलना, बीज का सेट काटना, कूँड में बोना, छूटे हुये कोना-किनारों में कूँड काटना एवं बीज बोना तथा कूँड बंद करना।	
		२. गन्ने में एक बार उर्बरक/रसायन डालना।	
		३. गन्नें की एक बार सिंचाई करना।	
		४. गन्ने की एक बार गुडाई करना।	
		५. गन्ने में एक बार मिट्टी चढाना।	
		६. गन्ने की बॅधाई करना।	
		७. गन्ने को काटना, छीलना, बॉधना एवं ट्रक/ट्राली पर लदाई करना।	
८.	आलू (बीजोत्पादन/ परीक्षण)	१. क्यारी में रसायनिक उर्बरक एवं गोबर की खाद डालना, क्यारी बनाना, बीज शोधन करना, आलू की बुवाई करना, मेड चढाना।	
		२. आलू की एक बार की सिंचाई करना	
		३. खरपतवारनाशी/दवा/उर्बरक घोल (यूरिया) का एक बार का छिडकाव।	
		४. आलू की निराई, गुडाई एवं मिट्टी चढाना (एकबार)	
		५. आलू पौध की कटाई (एकबार)	
		६. आलू की खुदाई, ग्रेडिंग कराना, बोराबंदी, तौलाई एवं भण्डारण।	

17/5.16